

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-:: कार्यालय आदेश ::-

राज्य सरकार के पत्रांक-प.19(12)शिक्षा-2/2019 जयपुर, दिनांक-20.07.2022 के अनुसरण में श्री नंदराम जयपाल, व्याख्याता अंग्रेजी, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय सेडवा, बाडमेर की प्रतिनियुक्ति अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, राजस्थान, जयपुर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए की जाती है। उक्त कार्मिक का वेतन नवीन पदस्थापन विभाग यानि अल्पसंख्यक मामलात् विभाग से आहरित किया जाना है। सम्बन्धित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक को कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था-4/सी-8/प्रतिनियुक्ति अन्य/2022

दिनांक : 22/7/22

⇒ प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मन्त्री (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा), राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव अति. मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा, राज. जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा। सत्यमेव जयते
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।।
9. संबंधित अनुभाग अधिकारी, संस्थापन-(सी-1), कार्यालय हाजा।
10. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी/कार्मिक।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर